

बिहार सरकार

कृषि विभाग।

संचिका संख्या- 3/कृ०बजटआवंटन-25/2016

99 (अतिरिक्त)

/कृ०, पटना, दिनांक 23-9-2016

प्रेषक,

प्रभु राम (बि.प्र.से.)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

निदेशक, भूमि संरक्षण,

बिहार, पटना।

विषय :

केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना-जलछाजन विकास (IWMP) {2011-12 (Batch-III), 2012-13 ((Batch-IV), 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI)} के लिए कुल 8,41,54,00,000/- रु० { केन्द्रांश 7,57,39,00,000/-रु० तथा राज्यांश 84,15,00,000/-रु० (90:10)} की लागत से वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि 19,19,00,000/-रु० (उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख रु०) (60%) एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 12,79,33,300/-रु० (बारह करोड़ उनासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ रु०) (40%) कुल 31,98,33,300/- रु० (एकतीस करोड़ अन्धानवे लाख तैंतीस हजार तीन सौ रु०) में से अनुसूचित जाति वर्ग हेतु { केन्द्रांश 3,10,80,000/-रु० (तीन करोड़ दस लाख अस्सी हजार रु०) एवं राज्यांश 2,07,20,000/- रु० (दो करोड़ सात लाख बीस हजार रु०)} कुल 5,18,00,000/-रु० (पाँच करोड़ अठारह लाख रु०) मात्र वर्ष 2016-17 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹5,18,00,000 (पाँच करोड़ अठारह लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या:- 3873 दि०- 05.09.2016 द्वारा केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना-जलछाजन विकास (IWMP) {2011-12 (Batch-III), 2012-13 ((Batch-IV), 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI)} के लिए कुल 8,41,54,00,000/- रु० { केन्द्रांश 7,57,39,00,000/-रु० तथा राज्यांश 84,15,00,000/-रु० (90:10)} की लागत से वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि 19,19,00,000/-रु० (उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख रु०) (60%) एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 12,79,33,300/-रु० (बारह करोड़ उनासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ रु०) (40%) कुल 31,98,33,300/- रु० (एकतीस करोड़ अन्धानवे लाख तैंतीस हजार तीन सौ रु०) में से अनुसूचित जाति वर्ग हेतु { केन्द्रांश 3,10,80,000/-रु० (तीन करोड़ दस लाख अस्सी हजार रु०) एवं राज्यांश 2,07,20,000/- रु० (दो करोड़ सात लाख बीस हजार रु०)} कुल 5,18,00,000/-रु० (पाँच करोड़ अठारह लाख रु०) मात्र वर्ष 2016-17 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹5,18,00,000 (पाँच करोड़ अठारह लाख रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹5,18,00,000 (पाँच करोड़ अठारह लाख रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद की राशि ₹3,10,80,000 (तीन करोड़ दस लाख अस्सी हजार रु०) मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या- 1, उपशीर्ष- 0202- एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम, (आई०डब्ल्यू०एम०पी०) विपत्र कोड- P2402007890202, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹5,18,00,000 (पाँच करोड़ अठारह लाख रु०) मात्र में से राज्यांश मद की राशि ₹2,07,20,000 (दो करोड़ सात लाख बीस हजार रु०) मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या- 1, उपशीर्ष-0303-एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम, (आई०डब्लू०एम०पी०) विपत्र कोड- P2402007890303, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 एवं 4572 दि० 03. 06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

5. इस योजना के स्वीकृतादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

6. व्यय के पश्चात अविलम्ब टी०भी० नम्बर के साथ व्यय विवरणी निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक

११ (आवंटन)

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/क०, पटना, दिनांक 23-09-2016

ज्ञापांक

११ (आवंटन)

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि

निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना/ कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार, राज्य बीज निगम/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/संयुक्त निदेशक पौधा सं०, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) टाल दिया रा चौड़ विकास बिहार, पटना/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) बीज, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रीकरण कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण दक्षिणी बिहार परिक्रम पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी-सह-सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/ प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/क०, पटना, दिनांक 23-09-2016

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

3/क० वनटभावेर-25/2011

ज्ञापांक - 33 (आवंटन)

/क०, पटना, दिनांक 23-09-2016

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
रिजि